Continental
The Future in Motion

ठेकेदार सुरक्षा पुस्तिका

मोदीपुरम कारखाना

PROTECT YOUR FUTURE. ACT NOW! ESH

अस्वीकरण जानकारी

- ठेकेदार सुरक्षा पुस्तिका का नवीनतम संस्करण मान्य है और इसे परचेज या संबंधित ठेकेदार के लिए जिम्मेदार कॉन्टिनेंटल प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
- संबद्ध दस्तावेज़, जैसे प्रशिक्षण दस्तावेज़, जोखिम मूल्यांकन के लिए टेम्पलेट्स, आवश्यक उपाय या कोई अन्य जरुरत कही गयी हैं तो परचेज या संबंधित ठेकेदार के लिए जिम्मेदार कॉन्टिनेंटल प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
- यदि संविदात्मक सेवाएं, या उसके हिस्से, किसी तीसरे पक्ष को उपठेकेदार के रूप में दिए गए हैं, तो ठेकेदार इस पुस्तिका की सामग्री के संबंध में उपठेकेदार के द्वारा किये गए कृत्यों, चूक और ग़लतियों के लिए कॉन्टिनेंटल के प्रति पूरी तरह से इस प्रकार जिम्मेदार होगा और रहेगा जैसे कि वे सभी कार्य, चूक या गलती ठेकेदार द्वारा स्वयं की गयी हों ।
- सुरक्षा पुस्तिका को जिस कारखाने के लिए जारी किया गया हैं यह उस कारखाने से संबंधित आवश्यकताओं का वर्णन करती है ।
- स्थानीय कानूनों और विनियमों के आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताएं भिन्न हो सकती हैं।
- यह सुरक्षा पुस्तिका कॉन्टिनेंटल टायर्स के कारखानो में एक विश्वव्यापी मानक को परिभाषित करती है और कानूनी पहलुओं सहित किसी भी प्रकार की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय दस्तावेज़ स्वामी द्वारा संपादित की जाती है।
- इस सुरक्षा पुस्तिका की सामग्री कॉपीराइट द्वारा सुरक्षित है और यहां उपयोग किए गए नाम, लोगो, मैस्कट्स और अन्य डिज़ाइन तत्व कॉन्टिनेंटल Reifen Deutschland Gmb व इसकी संबद्ध कंपनियों या लाइसेंसकर्ताओं द्वारा ट्रेडमार्क किए गए हैं या हो सकते हैं। पूर्व सहमति के बिना इसका कोई भी उपयोग सख्त वर्जित है।

CONTRACTOR SAFETY

आपका स्वागत हैं

कॉन्टिनेंटल में, सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे प्लांटों में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने कार्यों के लिए आवश्यक सभी जानकारी हो और उसे सुरक्षित रूप से काम करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त हो।

हमने आपको हमारी सुरक्षा आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने के लिए यह पुस्तिका बनाई है।

हम भविष्य में आपके सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं।

हम भागीदार हैं और एक साथ सुरक्षित रूप से काम करते हैं।

Dr. Bernhard Trilken
Senior Vice President
Manufacturing & Logistics Tires

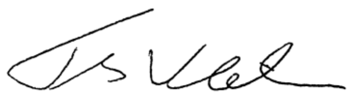

Prof. Dr. Thomas Winkelmann
Vice President Human Relations
Manufacturing & Logistics Tires

....
Kuldeep Singh
Plant Manager

....
Dr. Bipin Kumar Rai
ESH Manager

विषय-सूची

CONTRACTOR SAFETY

1 10 मूलभूत सुरक्षा नियम और अतिरिक्त सुरक्षा नियम

2 भूमिकायें और उत्तरदायित्व

3 काम की तैयारी

4 स्थान पर आगमन

5 खरीदी गई सेवा का संचालन

6 दुर्व्यवहार प्रक्रिया

7 मूल्यांकन

8 मोदीपुरम कारखाना - स्थानीय विशिष्ट आवश्यकताएँ

9 कारखाना मैप

1 सुरक्षा के 10 मूलभूत नियम

अतिरिक्त सुरक्षा नियम

संपूर्ण सुरक्षा नियमों का प्रशिक्षण ठेकेदारों के लिए जिम्मेदार कॉन्टिनेंटल प्रतिनिधि के माध्यम से उपलब्ध है|

संबंधित ठेकेदार को अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के नियमों के प्रशिक्षण का रिकॉर्ड पहले प्रस्तुत करना होगा।

जोखिम मूल्यांकन और परिभाषित उपाय के बाद अतिरिक्त सुरक्षा नियम लागू हो सकते हैं ।

2 भूमिकायें और उत्तरदायित्व

सुरक्षित कार्य तभी संभव है जब कार्य में समन्वय हो। समन्वय के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की आवश्यकता होती है।

सब लोग

- सभी भूमिकाओं में सुरक्षा पहले निहित हो ।
- यदि एक गंभीर खतरे की पहचान की जाती है, तो प्रत्येक व्यक्ति कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है।

ठेकेदार के सुपरवाइजर

- कॉन्टिनेंटल के लिए एक विश्वसनीय इंटरफ़ेस है।
- दुर्व्यवहार के परिणामों से अवगत है।
- सुरक्षा प्रशिक्षण और जोखिम मूल्यांकन आयोजित करता है।
- सुरक्षा उपायों को लागू करता है।
- अपने कर्मचारियों के व्यवहार के लिए जिम्मेदार है।
- जब कोई कार्य किया जाता है तो सुपरवाइजर या तो खुद उपलब्ध होता हैं या नामांकित डिप्टी के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है।
- कॉन्टिनेंटल को दुर्घटनाओं, निकट की चूकों और असुरक्षित स्थितियों की रिपोर्ट करता है।

ठेकेदार के कर्मचारी

- दुर्व्यवहार के परिणामों से अवगत है।
- सुरक्षा नियमों का पालन करता है।
- ठेकेदार के सुपरवाइजर को दुर्घटनाओं, नजदीकी चूकों और असुरक्षित स्थितियों की सूचना देते हैं ।

ई० एस० एच० कॉन्टिनेंटल

- कारखाने में दिशानिर्देशों को लागू करता है और उनके अनुप्रयोग को सुनिश्चित करता है।
- कॉन्टिनेंटल के ठेकेदारों के लिए जिम्मेदार को प्रशिक्षित करता है।
- अन्य भूमिकाओं की नियमित जांच का आयोजन करता है।
- डेटा एकत्र और संग्रहीत करता है।
- परचेज विभाग के लिए सुरक्षा प्रदर्शन डेटा अग्रेषित करते हैं।

ठेकेदार के लिए जिम्मेदार कॉन्टिनेंटल प्रतिनिधि

- कार्य के दौरान ठेकेदार के सुपरवाइजर के लिए एक विश्वसनीय इंटरफ़ेस है।
- सुरक्षित काम करने की स्थिति सुनिश्चित करता है।
- जोखिम मूल्यांकन में भाग लेता है।
- अन्य भूमिकाओं की नियमित जांच का आयोजन करता है।
- प्रासंगिक डेटा, रिकॉर्ड प्राप्त करता है और इसे ई० एस० एच० विभाग को प्रदान करता है।

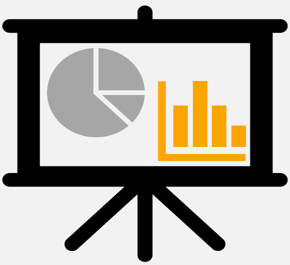

कॉन्टिनेंटल परचेज विभाग

- कार्य से पहले, कार्य के दौरान और कार्य के बाद में ठेकेदार कंपनी के लिए एक विश्वसनीय इंटरफ़ेस है।
- शिकायतों सहित सुरक्षा प्रदर्शन का संचार करता है।
- मूल्यांकन में सुरक्षा प्रदर्शन पर विचार करता है।
- अनुबंध का संचालन करता है।

3 काम की तैयारी

परियोजना शुरू होने से पहले ठेकेदारों के लिए जिम्मेदार कॉन्टिनेंटल प्रतिनिधि , ठेकेदार के सुपरवाइजर और वैकल्पिक रूप से एक ई० एस० एच० विशेषज्ञ (जैसे परमिट के लिए) के साथ एक मीटिंग आयोजित की जानी चाहिए |

पहले जोखिम मूल्यांकन पूरा किया जाना चाहिए सभी सुरक्षा उपायों पर चर्चा होनी चाहिए तथा उनको जोखिम मूल्यांकन सीट में लिखना चाहिए |

ठेकेदार कंपनी अपने सभी कर्मचारियों को कॉन्टिनेंटल के सुरक्षा के नियमो का प्रशिक्षण दें | कारखाने में आने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज, लाइसेंस, परमिट और सुरक्षा प्रशिक्षण रिकॉर्ड ठेकेदारों के लिए जिम्मेदार कॉन्टिनेंटल के प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षित होना चाहिए |

कॉन्टिनेंटल सुरक्षा नियम प्रशिक्षण दस्तावेज़

***प्रशिक्षण हर 12 महीने में किया जाना चाहिए**

वर्क परमिट और अतिरिक्त विशिष्ट प्रशिक्षण

एक **जोखिम मूल्यांकन** सुनिश्चित करता है कि आवश्यक कार्य परमिट उपलब्ध हैं तथा खतरों का शमन और प्रशिक्षण किया गया हैं ।

जोखिम मूल्यांकन आवश्यक सामग्री

वर्क परमिट

- आवश्यक परमिट के विषय में सामान्य जानकारी प्रदान करता है
- खतरनाक कार्यों के लिए उदाहरण प्रदान करता है
- कॉन्टिनेंटल द्वारा समीक्षा की जाती है

जोखिम का शमन

- खतरों के विषय में बताता हैं
- आवश्यक पी.पी.ई. के विषय में बताता हैं
- खतरों को खत्म करने वाले दूसरे उपायों के विषय में बताता हैं
- काम करने का माहौल तैयार करता है

प्रशिक्षण

- आवश्यक अतिरिक्त प्रशिक्षणों के विषय में बताता हैं
- प्रशिक्षण रिकॉर्ड के विषय में बताता हैं

जोखिम मूल्यांकन दस्तावेज ठेकेदारों के लिए जिम्मेदार कॉन्टिनेंटल के प्रतिनिधि के माध्यम से उपलब्ध हैं

4 कारखाने में आगमन

ठेकेदार के कर्मचारियों का पंजीकरण

- ठेकेदार के सुपरवाइजर को अपने सभी व्यक्ति, साथ ही उपठेकेदारों के विषय में अग्रिम रूप से बताना हैं (उदाहरण के लिए 3 दिन पहले; कंपनी का नाम, जन्म तिथि और व्यक्तियों के नाम को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए)।

- कारखाने में प्रवेश (प्लांट एंट्री पॉइंट) पर पहले से सहमति होनी चाहिए। (प्रवेश द्वार की पहचान लोकेशन मैप पर दी गई है - पुस्तिका का कवर देखें)।

- यदि ठेकेदार को कार या ट्रक प्रवेश की आवश्यकता है:
  - इस पर पहले से सहमति होनी चाहिए।
  - पंजीकरण प्लेट और वाहन का प्रकार निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
  - अगर उन्हें किसी हॉल या इमारत के अंदर प्रवेश करना है तो इस पर पहले ही सहमति होनी चाहिए
  - पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही दी जाती है।

ठेकेदार के कर्मचारियों की पहचान

ठेकेदार के कर्मचारियों को अनुरोध पर अपना पहचान पत्र दिखाना होगा |

ठेकेदार के कर्मचारियों की हर समय पहचान उनकी कंपनी के विशिष्ट कपड़ों पर ठेकेदार की कंपनी के लिखे हुए नाम के साथ होनी चाहिए |

ठेकेदार के कर्मचारियों के पास उनके सुपरवाइजर तथा ठेकेदारों के लिए जिम्मेदार कॉन्टिनेंटल प्रतिनिधि के संपर्क की जानकारी हर समय उपलब्ध होनी चाहिए।

ठेकेदार के कर्मचारियों का सुरक्षा प्रवेशण

- सुरक्षा प्रवेशण किया जाएगा
- काम शुरू करने के लिए सत्र को सफलतापूर्वक पास करना एक पूर्वापेक्षा है।
- सुरक्षा प्रवेशण प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिकतम 12 महीने वैध है।
- आवश्यक उपकरण (जैसे आत्म सुरक्षा उपकरण) और दस्तावेज (जैसे सुरक्षा प्रशिक्षण रिकॉर्ड, परमिट आदि) की पूर्णता की जांच ठेकेदारों के लिए जिम्मेदार कॉन्टिनेंटल के प्रतिनिधि द्वारा की जाएगी।

5 खरीदी गई सर्विस का संचालन

जोखिम मूल्यांकन के परिणामस्वरूप उपाय

- काम की तैयारी के रूप में, ठेकेदार कंपनी को **पहले से किये हुए जोखिम मूल्यांकन शीट प्रदान** करने की आवश्यकता है |
- आकलन के भीतर ठेकेदार के कर्मचारियों , कॉन्टिनेंटल और उसके कर्मचारियों या अन्य पार्टियों के लिए **संभावित खतरों की पहचान** की जानी चाहिए।
- ठेकेदार कंपनी द्वारा **इन जोखिमों को खत्म करने के लिए उचित उपाय** के विषय में आवश्यक योजना बनानी चाहिए तथा इन उपायों को उपयोग में अवश्य लाना चाहिए |
- **आवश्यक उपकरण** और किसी भी प्रकार के अन्य प्रयास ठेकेदार **कंपनी द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए** और इन्हे मूल्य प्रस्ताव में शामिल करना चाहिए |

जोखिमों को कम करने के उपायों के उदाहरण

उत्पादन से कार्य क्षेत्र को अलग करना :

- ☐ बाड़
- ☐ प्लास्टिक की दीवारे
- ☐ चेतावनी टेप
- ☐ संकेत

काम में रुकावट के दौरान उपाय:

- ☐ पहुँच का नियंत्रण
- ☐ क्षेत्र की सफाई
- ☐ खतरनाक ऊर्जाओं का अलगाव

गिरने से बचाव के उपाय:

- ☐ व्यक्तियों
- ☐ सामान

उपायों की पूर्णता ठेकेदार कंपनी द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए। अधिक विवरण के लिए अध्याय 2 देखें।

नियमों के अनुपालन की जांच

- ठेकेदार के सुपरवाइजर को अपने कर्मचारियों की **लगातार जांच** करनी चाहिए - **दैनिक उपस्थिति अपेक्षित है।**
- किसी भी प्रकार की **घटनाएँ, असुरक्षित परिस्थितियाँ** और **दुर्व्यवहार की सूचना** ठेकेदार के लिए जिम्मेदार कॉन्टिनेंटल प्रतिनिधि या ई॰ एस॰ एच॰ विभाग को अवश्य दें |
- इसके अतिरिक्त, ठेकेदार के लिए जिम्मेदार कॉन्टिनेंटल प्रतिनिधि और ई॰ एस॰ एच॰ विभाग **मौके पर जांच** करेंगें ।
- रिपोर्ट में नीचे दिए गए टेम्प्लेट पर दिखाई गई जानकारी होनी चाहिए।

संचार और दस्तावेज़ीकरण

- ठेकेदार का सुपरवाइजर या नामित डिप्टी साइट पर काम चलते समय **हमेशा साइट पर उपलब्ध** होना चाहिए ।
- कॉन्टिनेंटल **से संचार ठेकेदार के लिए जिम्मेदार कॉन्टिनेंटल प्रतिनिधि के माध्यम से** किया जाना चाहिए; **अत्यावश्यक मामलों में, ई॰ एस॰ एच॰ विभाग से सीधे संपर्क** किया जा सकता है ।
- कर्मचारी अपने **सुपरवाइजर और ठेकेदार के लिए जिम्मेदार कॉन्टिनेंटल प्रतिनिधि के बारे में जानकारी** जैसे कि नाम, संपर्क डेटा आदि सहित प्रदान करने में हर समय सक्षम होना चाहिए ।
- **ठेकेदार को सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे,** जिसमें प्रलेखित स्थान जांच, घटना रिपोर्ट, परमिट, योग्यता और प्रशिक्षण रिकॉर्ड आदि और अन्य सभी दस्तावेज जो इस पुस्तक का अनुपालन करने के लिए जरुरी हैं ।

नियमित ठेकेदार चेकलिस्ट और ठेकेदार सुरक्षा घटना रिपोर्टिंग ठेकेदारों के लिए जिम्मेदार कॉन्टिनेंटल प्रतिनिधि के माध्यम से उपलब्ध हैं ।

6 दुर्व्यवहार प्रक्रिया

- ठेकेदार कर्मचारियों के **दुर्व्यवहार की रिपोर्ट संबंधित साइट चेक के दस्तावेज़ीकरण के माध्यम से की जाएगी** तथा यह ठेकेदार के सुपरवाइजर द्वारा तथा ठेकेदारों के लिए जिम्मेदार कॉन्टिनेंटल प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद ई० एस० एच० विभाग को अग्रेषित की जाएगी ।
- नियम उलंघनो का परिणाम उस व्यक्ति और साथ ही ठेकेदार कंपनी पर **नियम उल्लंघन की गंभीरता , आवृत्ति और दावे की प्रतिक्रिया** के आधार पर लागू होगा ।
- ठेकेदार कंपनी के लिए परिणाम **नकारात्मक आपूर्तिकर्ता मूल्यांकन के रूप में** होंगे (अध्याय 7 देखें)।
- कार्य के दौरान कर्मचारियों के बार-बार नियमो के उल्लंघन के मामले में ठेकेदार कंपनी को अपने कर्मचारियों के व्यवहार को सुधारने के उपाय तुरंत लागू करने होंगे ।

अवगत रहें !

ठेकेदार कंपनी को इस पुस्तिका या किसी अन्य नियम के उल्लंघन अथवा गैर-अनुपालन के कारण होने वाले किसी भी परिणाम की भरपाई करनी होगी ।

1 सुरक्षा नियमों या आवश्यकताओं का उल्लंघन

कम	मध्यम	उच्च
उदाहरण मैं सेल फोन का उपयोग केवल सुरक्षित स्थान पर खड़े होकर ही करता हूं।	**उदाहरण** मैं हमेशा ऐसे आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनता हूं जो कि उचित स्थिति में है।	**उदाहरण** मैं कभी भी शराब या अवैध ड्रग्स के प्रभाव में काम नहीं करता हूं ।

2 आकलन के लिए ई०एस०एच० विभाग को रिपोर्ट करना है

3 गंभीरता और आवृत्ति के आधार पर परिणाम

कम	मध्यम	उच्च
औपचारिक चेतावनी	**24 घंटे निष्कासन**	**स्थायी निष्कासन**

7 मूल्यांकन

मूल्यांकन शीट

- ☐ निष्कर्षों के बाद प्रतिक्रिया
- ☐ घटनाओं के मामले में सहयोग
- ☐ प्रति यूनिट कम निष्कर्षों की संख्या*
- ☐ प्रति इकाई मध्यम / उच्च निष्कर्षों की संख्या*
- ☐ इस पुस्तिका का गैर-अनुपालन*
- ☐ साइट पर ठेकेदार सुपरवाइजर की उपलब्धता

*इकाई = प्रति सप्ताह (5 कार्य दिवस); गंभीरता स्तर की परिभाषाओं के लिए ठेकेदार सुरक्षा नियम प्रशिक्षण देखें

व्यापार पर विराम

समझौता वार्ता पर प्रभाव

सुधार की योजनाएं

हम सुरक्षा का कम पालन करने वाले ठेकेदारों को बाहर कर देते हैं

ठेकेदारों के लिए जिम्मेदार कॉन्टिनेंटल प्रतिनिधि, ठेकेदार द्वारा किये गए हर कार्य के बाद मूल्यांकन शीट को भर कर ठेकेदार के सुपरवाइजर और ई० एस० एच० विभाग को प्रदान करेगा

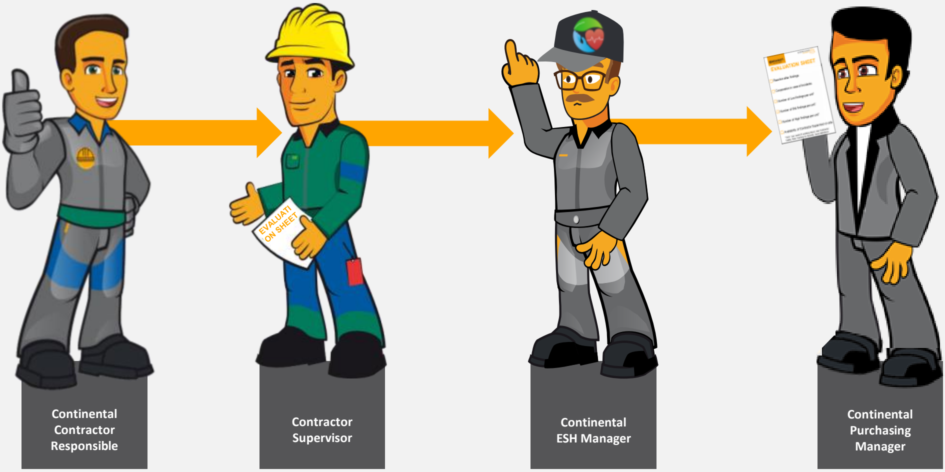

ई० एस० एच० विभाग ठेकेदार के सुरक्षा प्रदर्शन के मूल्यांकन का डाटा कॉन्टिनेंटल के परचेज विभाग को प्रदान करेगा

सुधार की योजनाएं	व्यवसाय जारी रखें	व्यवसाय जारी रखें

हम उच्च सुरक्षा प्रदर्शन वाले ठेकेदारों को मान्यता देते हैं

8 कॉन्टिनेंटल मोदीपुरम कारखाना - विशिष्ट आवश्यकताएँ

आपातकालीन संपर्क

- **अग्नि शामक दल** 0121-660-4333, 96340-96420
- **प्राथमिक चिकित्सा** 0121-660-4330, 89799-82525
- **कारखाना सिक्योरिटी** 0121-660-4555, 96340-96422

ई० एस० एच० आवश्यकताएँ / दिशानिर्देश

- कारखाने के अंदर अपने वाहन को 20 किमी/घंटा से अधिक की गति से न चलाएं।
- अपने वाहन को निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें।
- कारखाने के अंदर कैमरे और वीडियो टेपिंग को ले जाना और उपयोग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
- प्लांट मैनेजर की पूर्व लिखित अनुमति के बिना आपको कारखाने के अंदर कोई हथियार और गोला-बारूद ले जाने की अनुमति नहीं है।
- सभी मशीनरी से अच्छी तरह से दूर रहें और तब तक कुछ भी न संभालें जब तक आपके पास पूर्ण अनुमति न हो ।
- मशीन चलाते समय कर्मचारियों से बात न करें, इससे उनका ध्यान भटक सकता है और दुर्घटना हो सकती है।
- फर्श के खतरों (जैसे फिसलने वाले खतरों, ट्रिपिंग खतरों) के प्रति सतर्क रहें। ईएसएच से पूर्व अनुमोदन के बिना संयंत्र में खतरनाक रसायनों (नमूनों सहित) की अनुमति नहीं है।
- आपातकालीन असेंबली पॉइंट्स रणनीतिक रूप से सुविधा में स्थित हैं।
- निकासी की स्थिति में कृपया अपने मेजबान के साथ रहें या निर्देशों का पालन करें।
- निकासी संकेत रुक - रुक कर सायरन है। सभी ठीक है का संकेत लम्बा व लगातार सायरन है।

ई० एस० एच० आवश्यकताएँ / दिशानिर्देश

- यदि आपको कोई असुरक्षित स्थिति या असुरक्षित कार्य दिखाई देता है तो आप इसकी रिपोर्ट ईएसएच को @ 4331और 4333 पर कर सकते हैं । यदि प्लांट के अंदर अपनी सुरक्षा के संबंध में आपके कोई प्रश्न हैं,कृपया ईएसएच @ 4331/4333 पर कॉल करें। (कॉल करने से पहले प्री-फिक्स 0121-660 का उपयोग करें)

- ठेकेदार को श्रम कानूनों सहित पर्यावरण स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित सभी लागू कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का पालन करना होगा। उन्हें लागू होने वाले सांविधिक प्राधिकारियों से सभी आवश्यक मंजूरी/लाइसेंस लेना आवश्यक है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति कोड 2020, उत्तर प्रदेश फैक्ट्री नियम 1950, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, गैस सिलेंडर नियम 2016, सामाजिक सुरक्षा पर कोड , 2020 आदि ।

- प्रत्येक ठेकेदार के पास ठेकेदार के नाम के साथ अपनी वर्दी या रिफ्लेक्टिव बनियान होनी चाहिए, जिसे संयंत्र परिसर के अंदर काम करते समय पहना जाना चाहिए। काम के दौरान 'धोती' या 'लहंगा' जैसे ढीले कपड़े पहनने की अनुमति नहीं है ।

- ठेकेदार के सभी व्यक्ति/सुपरवाइजर , सहयोगी प्लांट परिसर के अंदर कार्य करते समय गेट पास प्रदर्शित करें ।

- कर्मचारी प्रदान करने वाले ठेकेदारों को छोड़कर प्रत्येक ठेकेदार को संयंत्र परिसर के अंदर आयोजित की जाने वाली सभी गतिविधियों के लिए जोखिम पहचान और जोखिम मूल्यांकन (एचआईआरए) और पर्यावरण पहलू और प्रभाव विश्लेषण करना चाहिए। इस आकलन के आधार पर उपयुक्त निवारक उपायों को लागू किया जाना है।

- जोखिम पहचान और जोखिम मूल्यांकन के अनुसार शामिल जोखिम के आधार पर उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का उपयोग अनिवार्य है। सभी पीपीई आईएसआई मार्क वाले होने चाहिए और अच्छी स्थिति में होने चाहिए।

- सभी ठेकेदार और उनके कर्मचारियों को संयंत्र परिसर में काम शुरू करने से पहले ईएसएच द्वारा सामान्य पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रेरण सत्र से गुजरना होगा।

- कार्य क्षेत्र में बैरिकेडिंग की जानी चाहिए, और अनधिकृत व्यक्तियों को कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस तरह के प्रभाव का डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाना चाहिए। अन्य सभी वैधानिक नोटिस जो लागू हों, उन्हें कार्य स्थल पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

ई० एस० एच० आवश्यकताएँ / दिशानिर्देश

- संविदा कंपनी या ठेकेदार को अपना पूर्णकालिक और योग्य सुरक्षा अधिकारी को साइट पर तैनात करना होगा यदि नौकरी / कार्य असाइनमेंट की अवधि एक महीने से अधिक है।
- कार्य स्थल पर यथा लागू पर्याप्त संकेत/चेतावनी संकेत प्रदर्शित किए जाने चाहिए।
- सभी ठेकेदारों को प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स प्रदान करना चाहिए और उत्तर प्रदेश कारखाना नियम, 1950 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षित प्राथमिक उपचारकर्ता होना चाहिए।
- ठेकेदार के पास कार्य स्थल पर उचित मात्रा में ISI चिह्नित प्राथमिक चिकित्सा अग्निशमन उपकरण अच्छी स्थिति में होने चाहिए।
- ठेकेदार को सभी लिफ्टिंग टूल्स और टैकल, पावर्ड इंडस्ट्रियल व्हीकल, क्रेन, प्रेशर वेसल आदि जिसे वह प्लांट परिसर के अंदर लाता है के लिए कानून के तहत सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी वैध टेस्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। परीक्षण प्रमाण पत्र के अलावा इन उपकरणों को अच्छी स्थिति में रखा जाना चाहिए।
- जब न्यूमेटिक/हाइड्रोलिक/इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड/रिमोट ऑपरेटेड टूल्स का उपयोग किया जाता है, तो उन्हें आईएसआई मार्क होना चाहिए और उन्हें सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उनका उपयोग करते समय, जैसा कि निर्धारित किया गया है, पर्याप्त सुरक्षा सावधानियां बरती जानी चाहिए।
- ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल पर औद्योगिक स्वच्छता का उचित स्तर बनाए रखा जाना चाहिए। परिसर के अंदर शराब का सेवन और तंबाकू चबाना सख्त मना है।
- धूम्रपान की अनुमति केवल निर्दिष्ट धूम्रपान क्षेत्रों में ही दी जाती है।
- कारखाने के अंदर शारीरिक या मौखिक हिंसा की अनुमति नहीं है और इससे बचना चाहिए।
- ठेकेदार को साइट पर संसाधनों का उचित इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए और ऊर्जा या पानी या सामग्री को बर्बाद नहीं करना चाहिए।

ई० एस० एच० आवश्यकताएँ / दिशानिर्देश

- यह सुनिश्चित करना ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि कार्य/असाइनमेंट/परियोजना के दौरान उत्पन्न सभी स्क्रैप का निपटान उचित तरीके से किया गया हैं , जिससे पर्यावरण और कारखाना परिसर के समग्र हाउसकीपिंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- ज्वलनशील पदार्थ/रसायन सहित कोई भी खतरनाक पदार्थ लाने के लिए ठेकेदार को ईएसएच से पूर्वानुमति लेनी होगी।
- आकस्मिक रिसाव या स्पिल को हैंडल करने के लिए स्पिल प्रबंधन किट सहित किसी भी तरल रसायन / तेल आदि के भंडारण के लिए सेकेंडरी कंटेनमेंट पैलेट का पयोग करना ठेकेदार की जिम्मेदारी है।
- ठेकेदार काम पूरा करने के दौरान और काम खत्म करने के बाद उचित हाउसकीपिंग और सफाई बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।
- ठेकेदार को निम्नलिखित कार्यों के लिए स्थापित वर्क परमिट सिस्टम का पालन करना चाहिए:

  (ए) गर्म काम

  (बी) ऊंचाई पर काम

  (सी) खुदाई

  (डी) सीमित स्थान में काम करना

  (ई) कमजोर छत पर काम करना
- ठेकेदार कंपनी के सुरक्षा अधिकारी को दैनिक आधार पर ई० एस० एच० कार्यालय को रिपोर्ट करना होगा। उसे प्रतिदिन टूलबॉक्स टॉक करना हैं और कार्य स्थल की आवधिक सुरक्षा ऑडिट करनी हैं और संयंत्र सुरक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करनी चाहिए।
- कारखाना सुरक्षा अधिकारी कार्य स्थल पर किसी भी सुरक्षा उल्लंघन को देखने पर कार्य को रोकने के लिए पूर्ण रूप से अधिकृत है।
- उपर्युक्त आवश्यकताओं की व्याख्या, प्रयोज्यता के बारे में निर्णय लेने के लिए संयंत्र सुरक्षा अधिकारी अंतिम प्राधिकरण है। उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT

PROHIBITIONS

9

Location Map

Plant Layout

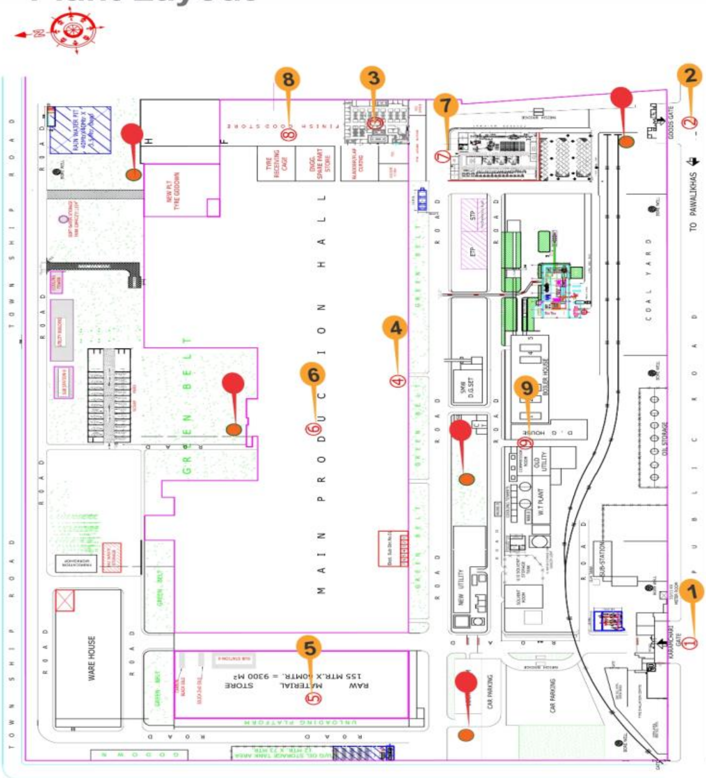

1. Main Gate
2. Goods Gate
3. Administrative Building
4. Occupational Health Centre (OHC)
5. Raw Material Store
6. Production Hall
7. Tube Plant
8. Finished Goods Store
9. Utility- Boiler House

● Emergency Assembly Point

Continental Aktiengesellschaft
P.O. Box 1 69, 30002 Hanover, Germany
Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hanover, Germany
Phone: +49 511 938 – 01, Fax: +49 511 938 – 81770
mailservice@conti.de
www.continental-corporation.com

CONTRACTOR SAFETY

Continental
The Future in Motion